झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

सी0 एम0 पी0 संख्या–104 / 2019

1. हेमा देवी
2. मनोरमा देवी ..... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, भूमि और राजस्व, झारखण्ड सरकार, राँची
3. आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर डिवीजन, राँची
4. प्रभारी अधिकारी, सर्वेक्षण और निपटान, राँची
5. सोमरा उरांव
6. संतोष उरांव
7. मंगरा उरांव
8. बिरसा उरांव
9. थेपा उरांव ..... विरोधी पक्ष

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्त्ताओं के लिए : मे0 अमर कु0 सिन्हा एवं सुमित कुमार, अधिवक्तागण
राज्य के लिए : एस0सी0 (एल एंड सी) के ए0सी0

03 / 05.04.2019 वर्तमान सी0एम0पी0 को डब्ल्यू0पी0 (सी) सं0 7370 / 2016 की पुनः स्थापन के लिए दायर किया गया है, जो दिनांक 28.03.2018 के आदेश, जिसके द्वारा त्रुटियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का अनुल्लंघनीय समय की अनुमति दी गई थी, का पालन न करने के कारण दिनांक 11.04.2018 को चूक के वजह से खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और झारखण्ड राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, साथ–ही–साथ वर्तमान सी0एम0पी0 में बताए गए कारणों के आलोक में, डब्ल्यू0पी0 (सी) सं0 7370 / 2016 को पुनः स्थापित किया जाता है, इस शर्त के अधीन कि याचिकाकर्त्ता अधिवक्ता क्लर्क एसोसिएशन वलफेयर फंड, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पक्ष में, 1,000 / – रूपये कॉस्ट का भुगतान करेंगे और डब्ल्यू0पी0 (सी) सं0 7370 / 2016 में बचे हुए त्रुटियों को आज से एक सप्ताह के भीतर दूर कर दिया जाएगा।

सी0एम0पी0 को, तद्नुसार, पूर्वोक्त शर्तों के साथ अनुमति दी गई ळें

(राजेश शेकर, जे0)